पीठासीन अधिकारी– श्री [illegible] आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
[illegible]/2016/प्रार्थना पत्र	04.03.2016	15.06.2017

उनवान

मु0 नसीरन बानू पत्नि पत्नि अब्दुल हाई मुसलमान निवासी हुरड़ा रोड़, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थिया

बनाम

रतनलाल पिता भैरूलाल दरोगा निवासी कोठियाँ तहसील फूलियाकलां

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. प्रार्थिया मु0 नसीरन बानू स्वयं उपस्थित
2. अप्रार्थी श्री रतनलाल दरोगा स्वयं उपस्थित

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षी के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कोठियॉ पटवार0 कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आ0न0 361 रकबा 0.67 है0 भूमि स्थित है। उक्त कृषि आराजी के बदिशा उत्तर की ओर विपक्षी रतनलाल की कृषि आ0न0 359 स्थित है तथा ग्राम कोठियॉ से आने वाला आम रास्ता आ0न0 359 के बदिशा उत्तरी पूर्वी कोने पर आकर मिलता है। उक्त रास्ते से होकर प्रार्थिया अपने खेत मे जाने हेतु आ0न0 359 के पूर्वी मेर पर होती हुई अपनी आ0न0 361 मे निरन्तर व निर्बाध रूप से आ जा रही है। प्रार्थिया के आ0न0 361 के बदिशा दक्षिणी ओर पूर्व से पश्चिम की ओर समानान्तर नाला बना हुआ है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। विपक्षी द्वारा आ0न0 359 की पूर्वी मेर पर सम्पूर्ण रास्ते को थोर लगाकर अवरूद्व कर दिया है। अतः विपक्षी की आ0न0 359 के बदिशा पूर्वी मेर पर उत्तर से दक्षिण की ओर समानान्तर 10 फीट चौड़ाई की भूमि को रास्ते के रूप मे अवाप्त कर राजस्व रेकार्ड मे अंकन कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 02.05.2016 को प्रार्थिया व विपक्षी स्वयं उपस्थित हुए। प्रकरण दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 अटल सेवा केन्द्र कोठियॉ पर सुनवाई हेतु रखा गया। प्रार्थिया व विपक्षी स्वयं उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत कोठियॉ द्वारा की गई। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी मोखिक सहमति प्रकट की साथ ही यह भी बताया कि प्रार्थिया की आराजी पर जाने के लिये विपक्षी के खेत मे एक तरफा रास्ता दिया जावे। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया के वादग्रस्त आराजीयात मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठियॉ प0ह0 कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे स्थित प्रार्थिया की आराजी नम्बर 361 रकबा 0.67 है0 मे आने जाने हेतु विपक्षी की आ0न0 359 की पूर्वी मेर पर 10 फीट चौड़ाई व प्रार्थिया की आराजी तक लम्बाई का रास्ता प्रार्थिया द्वारा प्रचलित वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि का चैक विपक्षी खातेदार के नाम का तहसील कार्यालय मे जमा कराने व उक्त चैक का भुगतान विपक्षी को किये जाने उपरान्त राजस्व रेकार्ड मे गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिया जाता है। उक्त आराजी का नक्शे मे तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 15.06.2017 को केम्प कोठियॉ पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलॉं जिला-भीलवाड़ा